(68)

भारत का विधि आयोग

मुख्तारनामा अधिनियम, 1882

पर

अड़सठवीं रिपोर्ट

मार्च, 1977

अध्याय

अध्याय 2 - - - - विस्तार और परिभाषाएं

अध्याय 3 - - - - - - मुख्तारनामों का प्रभाव और अर्थान्वयन ।

अध्याय 4 - - - - मुख्तारनामें का जमा किया जाना ।

अध्याय 5 - - - - विवाहित स्त्री ।

अध्याय 6 - - - - प्रकीर्ण ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 - - - - प्रारूप विधेयक के रूप में दर्शित सिफारिशें ।

परिशिष्ट 2 ----- तुलनात्मक ~~तालिका~~ सारिणी ।

- - -

अध्याय 1

प्रारंभिक

1.1. विधि आयोग का कार्य ऐसे केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना है जो सर्व साधारण को लागू होते हैं और महत्वपूर्ण हैं। विधि आयोग ने अपने इसी कार्य के अंग के रूप में मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 के पुनरीक्षण का कार्य आरम्भ किया। मुख्तारनामा विषयक विधि का संबंध संविदाओं और सम्पत्तियों से है। आयोग, संविदा की विधि के भागरूप कुछ विषयों से संबंधित अनेक रिपोर्टें[1] भेज चुका है। आयोग ने सम्पत्ति विधि[2] की शाखाओं के विषय में या उनसे संबंधित कुछ रिपोर्टें भी प्रस्तुत की हैं। अत: इस अधिनियम पर विचार करना भी उपयुक्त प्रतीत हुआ।

इस विषय पर विचार करने के संबंध में आयोग ने एक अन्य बात को भी महत्वपूर्ण समझा है और वह यह तथ्य है कि वर्तमान अधिनियम की भाषा आधुनिक विधायी वाक्य रचना से स्पष्टरूप से असंगत है।

---

1. उदाहरण के लिए सातवीं रिपोर्ट (भागीदारी अधिनियम), आठवीं रिपोर्ट (माल विक्रय अधिनियम), ग्यारहवीं रिपोर्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) और तेरहवीं रिपोर्ट (संविदा अधिनियम)।

2. देखिए छठी और तीसवीं रिपोर्ट (रजिस्ट्रीकरण अधिनियम), सत्रहवीं रिपोर्ट (न्यास अधिनियम) और विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1882 पर रिपोर्ट।

परिष्करण की आवश्यकता ।

1.2. अनेक सारवान बातों के बारे में इस अधिनियम में सुधार की आवश्यकता नहीं है फिर भी अनेक स्थानों पर उसकी धाराओं की संरचना पुरानी पड़ चुकी है ।[1] उसके कुछ उपबंध समय के साथ अप्रचलित हो गए हैं ।[2] ऐसी परिस्थिति में यह वांछनीय है कि उसकी विभिन्न धाराओं में और संशोधन करने की बजाए संपूर्ण अधिनियम को बदल दिया जाए ।

िधान अधिनियम को धिनियमित करने के रण ।

1.3. यह तो रही पुनरीक्षण की आवश्यकता की बात । अब हम अधिनियम पर विचार करने का कार्य मुख्तारनामा विधेयक, 1881 का सं० 22, के उद्देश्य और कारणों के कथन से आरम्भ करते हैं । विधान जिन कारणों से आरम्भ में बनाया गया था वे इस प्रकार हैं :

> " वर्तमान विधि यह है कि मुख्तारनामा का आदाता, मुख्तारनामे के अनुसरण में लिखत का निष्पादन करते समय उस पर अपने मालिक के नाम में हस्ताक्षर करेगा और जहां मुद्रा लगाने की आवश्यकता हो वहां उस पर मुद्रा लगाएगा ।

---

1. उदाहरण के लिए धारा 2 और 3 में अनेक पैरा हैं जो उपधाराएं प्रतीत नहीं होते ।
2. उदाहरण के लिए धारा 2 का दूसरा पैरा, धारा 3 का अंतिम पैरा और धारा 4(क) जो पुराने मुख्तारनामों को इस अधिनियम के लागू होने के बारे में है ।
3. भारत का राजपत्र, 22 अक्टूबर, 1881 भाग 5 पृष्ठ 1473-1474,

[illegible] मुख्तारनामों [illegible] मुख्तारनामा [illegible] अभिहस्तांकरण [illegible] धारा [illegible] मुख्तारनामों [illegible] संबंध नहीं रखते व्यक्तियों, निगमनकर्ताओं और [illegible] के बारे में है और जो पिछले पचास वर्षों से ब्रिटिश भारत में प्रवृत्त है - 1860 के अधिनियम सं० 45 की धारा 20 देखिए।

" निक्षेप का उपयोग और बीमा उद्देश्य कुशलतापूर्वक पूर्ति करने वाले व्यक्तियों के निर्माण किए जाने के लिए और ऐसे व्यक्तियों के नियमानुकूल संचालन के लिए उपबंध करता है। इस उद्देश्य से बनाई गई धारा 44 और 45 (विशेषकर धारा 44(1), धारा 46 के (पालन के लिए अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आवश्यक उपबंधों सहित) पढ़ी जा सकती हैं।

~~[illegible]~~ - ह्विटले स्टोक्स"

1.4 व्यक्तियों का वास्तविक व्यापक लक्षण यह है कि उनमें सब व्यक्तियों के साथ अपने [illegible] के विधिक व सम्बन्धों में परिवर्तन करने की विधिक शक्ति निहित होती है। [illegible] पर इन्हीं संबंधों को परिवर्तित करने का तत्संबंधी दायित्व होता है। (व्यक्तियों के वास्तविक लक्षण के बारे में) इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सबसे पहले हॉफेल्ड ने किया था।[1]

1. हाफेल्ड, फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शन्स, पृष्ठ 22

[illegible]

[illegible]

---

1. ~~[illegible]~~
2. [illegible] (1884) 13 [illegible] 770, 782; ([illegible])
3. [illegible] (18[illegible]) 1 [illegible] 710, 713 ([illegible]
4. [illegible] बनाम सीवर (18[illegible]) 1 [illegible] (लार्ड [illegible])
5. [illegible] बनाम [illegible] (1874) [illegible] 96,120
6. [illegible] बनाम [illegible] (1800) [illegible] 937-938.
7. [illegible] बनाम [illegible] (1800) 12 [illegible] 704

1.8 [illegible] कानून में किया है। अमेरिकन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] ओर से [illegible] [illegible] होता है।" [illegible] [illegible] करते हैं।

सामण्ड[4] ने अपनी ला आफ कान्ट्रैक्ट्स के ग्रन्थ में यह कहा है कि "अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, जिसे उसका मालिक कहा जाता है, उस अन्य व्यक्ति की ---विधि की दृष्टि में कोई कार्य के अधिकार का प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है।"

जे० एल० मान्टरोज[5] ने कुछ वर्षों पूर्व एक प्रकाशित लेख में इस बात को स्वीकार किया है।

---

1. सीवे, [illegible] पैड [illegible], पृष्ठ 889-95
2. अमेरिकन ला इन्स्टीट्यूट, रीस्टेटमेन्ट आफ दि ला आफ एजेन्सी।
3. फैक्लन ब्रिज -17 केन. बार रिव्यू 948 में जिसका उल्लेख एफ०एम० डावरिज ने "रिलेशनशिप आफ प्रिंसिपल एण्ड एजेन्ट" (1964) 17 माडर्न ला रिव्यू में किया है।
4. सामण्ड और विनफील्ड, कान्ट्रैक्ट्स, पृष्ठ 338-40, जिसका स्रोत डावरिज ने "रिलेशनशिप आफ प्रिंसिपल एण्ड एजेन्ट" (1964) माडर्न ला रिव्यू में दिया है।
5. जे०एल० मांटरोज "दि बेसिस आफ दि पावर आफ एजेन्ट इन केसेज आफ एक्चुअल एण्ड एपरेन्ट अथारिटी", 16 कैन० बार रिव्यू, 757.

का इंगलैण्ड धिनियम ।

1.6. इंगलैण्ड में, पावर्स आफ अटर्नी ऐक्ट, 1971 में मुख्तारनामे के और न्यासियों द्वारा अपने न्यासों, शक्तियों और विवेक के प्रत्यायोजन के संबंध में कुछ नए उपबंध किए गए हैं ।

ऐक्ट की धारा 1 में मुख्तारनामे के निष्पादन के लिए नियम हैं । संक्षेप में, उसमें दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणन की अपेक्षा की गई है ।

धारा 2, मुख्तारनामे का सृजन करने वाली लिखतों के सुप्रीम कोर्ट में फाइल या निक्षिप्त किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है ।

धारा 3, मुख्तारनामे का सृजन करने वाली लिखतों के सबूत के संबंध में है । संक्षेप में, उस धारा में फोटोचित्रित प्रतियों द्वारा, जो सत्य और पूर्ण प्रति प्रमाणित की गई हों, सबूत का उपबंध है । धारा 4, प्रतिभूति के रूप में दिए गए मुख्तारनामे के संबंध में है । ऐसी शक्ति उस समय तक विखण्डित नहीं की जा सकती है जब तक प्रतिभूति का उन्मोचन नहीं कर दिया जाता है ।

धारा 5 उस दशा में आदाता और अन्य व्यक्तियों के संरक्षण के संबंध में है जब मुख्तारनामा विखण्डित कर दिया जाता है और आदाता को उस विखण्डन की जानकारी नहीं होती है । धारा 6 में (विखण्डन की दशा में) स्टाक एक्सचेंज के संव्यवहारों के अधीन अन्तरितियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण प्रदान किया गया है । धारा 7 में मुख्तारनामे के आदाता द्वारा लिखतों के निष्पादन आदि का उपबंध है ।

धारा 8, विवाहित स्त्रियों से संबंधित ला आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1925 की धारा 129 को निरसित करती है । धारा 9 में, मुख्तारनामे द्वारा न्यास आदि का प्रत्योजन करने की प्रथम अनुसूची में दिए ग - शक्ति दी गई है । धारा 10, ऐक्ट की प्रथम अनुसूची में दिए हुए विनिर्दिष्ट प्ररूप में साधारण मुख्तारनामे के प्रभाव के संबंध में है । धारा 11 में संक्षिप्त नाम, निरसन, आनुषंगिक संशोधन, प्रारम्भ और विस्तार है ।

अध्याय 2

प्रारंभ और परिभाषाएं

धारा 1 – विस्तार

2.1 [illegible] जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत को लागू होता है। इस विषय पर विधान बनाने की विधायी सक्षमता समवर्ती सूची से प्राप्त होती है[1] और सुसंगत प्रविष्टियां जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होतीं। अतः जम्मू-कश्मीर राज्य पर इस अधिनियम के विस्तार पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

"मुख्तारनामा" की परिभाषा की आवश्यकता।

2.2 यह एक विचित्र बात है कि अधिनियम में "मुख्तारनामा" की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम के ~~मूल और उसके~~ प्रभावशील भाग अर्थात् धारा 2 में "मुख्तारनामा" का प्रयोग हुआ है, अतः ऐसी परिभाषा जोड़ना वांछनीय है। ऐसी परिभाषा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में मिलती है और इस प्रकार है[2]:

"मुख्तारनामा" के अंतर्गत ऐसी लिखत है —

---

1. समवर्ती सूची, प्रविष्टि 7, "संविदाएं, जिनके अंतर्गत ——— अभिकरण ———" और प्रविष्टि 6, "सम्पत्ति का हस्तांतरण ; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।"

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, धारा 2(21).

[illegible]

ब्लैक[1] ने [illegible] के अनुसार [illegible] (मुख्तारनामा) [illegible] पूर्ण [illegible] सामान्य [illegible] से संबंधित किसी अधिकारी या अन्य [illegible] के समक्ष उपस्थित होने और कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हुए नियुक्त करता है और इस प्रकार व्यक्ति, इस दशा में, पहले व्यक्ति का अटॉर्नी (या [मुख्तारनाम] का धारक) [कहलाता] है। यह लेख साधारण या विशेष हो सकता है अर्थात् वह सभी कार्य करने के लिए या कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए हो सकता है।"

स्ट्राउड[2] ने इसकी ऐसे प्राधिकार के रूप में [परिभाषा] की है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पक्ष या स्थान में उसके लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[illegible] के नियमों में उपबंध

2.3 अभिकरण से संबंधित अनेक विषयों का उपबंध मुख्तारनामा अधिनियम में नहीं अपितु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (अभिकरण से संबंधित धाराओं) में है। इनमें से महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं :-

(क) मुख्तारनामे का निष्पादन कौन कर सकता है;

(ख) अटर्नी कौन बन सकता है;

---

1. ब्लैक, ला डिक्शनरी (1968) पृष्ठ 784

2. स्ट्राउड, ज्युडिशियल डिक्शनरी (1953), पृष्ठ 2267.

(7) कुन्तापसूक्त [illegible]
(8) [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ।

[illegible] है, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं ।[1] कुन्तापसूक्त, [illegible]
है, [illegible] [illegible] [illegible] है, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] कुछ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रतिपादक है ।[2])

---

1. वैदिक इण्डेक्स, तीसरा संस्करण, जिल्द 1, पृष्ठ 103 पैरा 300 की कुन्तापों के संबंध में है और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है । "
2. देखिए उपर्युक्त अध्याय 2.

[illegible]

[illegible]

उपरोक्त परिभाषा में परिभाषा का प्रयोग है किन्तु आधुनिक परिभाषा के [illegible] में भी [illegible] जाता है[2]। कुष्ठरोगग्रस्त [illegible] के कारण में [illegible] के साथ को [illegible] है। यह बात उपरोक्त [illegible] में [illegible] परिभाषा में [illegible] रूप से स्पष्ट है।

---

(1) हाल्सबरी, तीसरा संस्करण जिल्द 1
पृष्ठ 113, पैरा 366

(2) यथापूर्वोक्त

[illegible] 4. [illegible]

---

1. अभिलेख प्रपत्र के लिए देखिए परिशिष्ट 1
2. देखिए रामदेव बनाम जागुनाथ आई एल आर (1937) नागपुर 434, 436; ए आई आर 1937 नागपुर 65, 66(स्टीम), सी जे

अध्याय 3

[illegible]

[illegible] 5.1 कूटरचना [illegible] है।
इस धारा [illegible] प्रभावशील [illegible]

"ऐसा कूटरचित [illegible] लिखित या [illegible] नाम और हस्ताक्षर से कर सकता है या निष्पादित ~~और [illegible] लिखित या~~ [illegible] लिखित में

कर सकता है और इसी प्रकार निष्पादित कृत लिखत

इस प्रकार प्रभावशील होगा मानो वह कूटरचना के अभाव में उसके दाता के नाम में और हस्ताक्षर और मुद्रा से कृत या निष्पादित है।"

धारा की प्रारूप रचना में अपरिचित और ~~[illegible]~~ अबोधगम्य है किन्तु जिस बात पर इसमें जोर दिया गया है वह यह है कि यद्यपि हस्ताक्षर आभासी था फिर भी दस्तावेज को ऐसे पढ़ा जाएगा मानो उस पर दाता ने हस्ताक्षर किए हों। इस स्थिति की कल्पना में यह भी आवश्यक रूप से विवक्षित है कि वह दस्तावेज दाता पर आबद्धकर होगी। परन्तु शब्दों में कहा जाए तो इस धारा में यह उपबंध है कि अभिकर्ता के हस्ताक्षर को मालिक के हस्ताक्षर समझा जाएगा। व्यवहार में इस धारा की भाषा से ऐसी कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है और जहाँ इस बात का संबंध है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है।

देश्य

3.2 जैसा कि मुख्तारनामा विधेयक, 1882 के उद्देश्यों और कारणों के कथन[1] में कहा गया था [illegible] मुख्तारनामे [illegible] मुख्तारनामे का धारक [illegible] अनुसरण में लिखत का निष्पादन करते समय [illegible] किसी व्यक्ति के नाम में हस्ताक्षर करता और जहाँ मुद्रा लगाने की अपेक्षा हो वहाँ उस पर मुद्रा लगाता है।"

मुख्तारनामा विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यवहारों के लिए उसी नाम में और अपनी मुद्रा के साथ निष्पादित करने के कार्यों को विधिपूर्ण बनाना था। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह भी कहा गया था कि "इस प्रकार मुख्तारनामे के अधीन लिखतों के निष्पादन से संबंधित विधि 31 दिसम्बर, 1881 से और उसके बाद इंग्लैंड में प्रचलित नियमों के अनुरूप और उस परिपाटी के अनुरूप हो जाएगी जिसके विषय में यह विश्वास किया जाता है कि वह उत्तर पश्चिम प्रांतों, ब्रिटिश बर्मा और संभवतः भारत में अन्यत्र प्रचलित है।"[2]

2, अंतिम

3.3 वर्तमान धारा 2 के अंतिम पैरा को, जो उस धारा के प्रारम्भ के पूर्व निष्पादित मुख्तारनामे को वर्तमान अधिनियम के लागू होने के संबंध में है, नये अधिनियम में दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

---

1. भारत का राजपत्र 22 अक्तूबर, 1881, भाग 5, पृष्ठ 1473
2. देखिए पूर्वगामी अध्याय 2

3.4 [illegible] [illegible] [illegible] जा सकती है।

[illegible] धारा 2 को भी अधिनियम में शामिल कर लिया जाए।[1]

3.5 अब हम धारा 3 पर विचार करते हैं जिसमें मुख्तारनामे के दाता की मृत्यु की सूचना के पूर्व सद्भावपूर्वक उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। यह धारा कन्वेयंसिंग ऐक्ट, 1881 की धारा 47 पर आधारित[2] है और सच तो यह है कि यह उसी की नकल है। जहां तक इंग्लैंड का संबंध है इंग्लैंड के अधिनियम की यह धारा ला आफ प्रोपर्टी ऐक्ट, 1925 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई थी जो इस प्रकार थी -

"124. मृत्यु, आदि की सूचना के बिना मुख्तारनामों के अधीन अटर्नी द्वारा किया गया संव्यवहार।

(1) मुख्तारनामे के अनुसरण में सद्भावपूर्वक संव्यवहार या कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस संव्यवहार या कार्य की बाबत इस कारण दायी नहीं होगा कि उस संव्यवहार या कार्य के पहले मुख्तारनामे का दाता मर गया है या निर्योग्य या दिवालिया हो गया है या उसने मुख्तारनामा प्रतिसंहृत कर दिया है, यदि मृत्यु, निर्योग्यता, दिवालियापन या प्रतिसंहरण का तथ्य संव्यवहार या कार्य के समय उसे करने वाले व्यक्ति को ज्ञात नहीं था।

---

1. परिशिष्ट 1 देखिए
2. पावर आफ अटर्नी ऐक्ट, 1971 की धारा 5 देखिए।

(२) [illegible]

[illegible] जाएगा ।

जहाँ [illegible] इसी प्रकार [illegible] कर सकता है मानो [illegible] बाध्यता हो ।

जहाँ किसी व्यक्ति को [illegible] अन्य व्यक्ति के [illegible] में [illegible] दिया गया है वहाँ यह धारा ऐसे लागू होगी है मानो उस [illegible] के अधीन [illegible] गया [illegible] या [illegible] के अधीन किया न हो ।

(३) यह धारा इस प्रकार [illegible] किसी व्यक्ति के ऐसे [illegible] के विरुद्ध किसी [illegible] को प्रभावित नहीं करेगी, और उस व्यक्ति को ऐसे [illegible] के विरुद्ध वैसे ही उपचार प्राप्त होगा जैसे कि उसे [illegible] के विरुद्ध प्राप्त होता यदि उसके द्वारा [illegible] नहीं किया जाता ।

(४) यह धारा उन संविदाओं और कार्यों को लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किए गए हैं और इस धारा में "[illegible]" के अन्तर्गत किसी [illegible] द्वारा [illegible] भी है ।" [illegible] भारत 1972 के एक्ट की धारा 6 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अन्तःस्थापित कर दी गई) "

[illegible]

3.6 धारा 3 में कुछ शाब्दिक परिवर्तन आवश्यक हैं -

(i) "आना" और "लेजाना" के स्थान पर [illegible] चाहिए। "नियुक्ति" और "नियोजित" [illegible] उपयुक्त हैं और वे [illegible] रखे जाने चाहिए।

(ii) धारा 3 के अंतिम पैरा में किये गये इस उपबंध से कि यह धारा केवल उन्हीं संव्यवहारों आदि को लागू होगी जो वर्तमान अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् किए गए हैं, नए अधिनियम में दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

3.7 इस स्तर पर, नागपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले[1] में प्रस्तुत किया गया दिलचस्प तर्क उल्लेखनीय है। एक अपीलार्थी अपील दाखिल करने के पहले ही मर गया था। उसकी मृत्यु की जानकारी न होते हुए, उसके काउन्सेल ने उसके प्रत्यायोजित अभिकर्ता से प्राप्त निदेश के अधीन उसकी ओर से एक अपील का ज्ञापन फाइल कर दिया था। अपनी मृत्यु से पूर्व उस (अपीलार्थी) ने अपने प्रत्यायोजित अभिकर्ता को यह निदेश दिया था कि वह अपील फाइल करने के लिए प्लीडर नियुक्त करले। उस अभिकर्ता ने काउन्सेल की नियुक्ति उस (अपीलार्थी) की मृत्यु के पश्चात् की थी और उस समय उसे उस मृत्यु की जानकारी नहीं थी।

---

1. मुसम्मात राधाबाई बनाम गोविन्द, ए०आई०आर० 1939 नागपुर 274.

उसकी मृत्यु के [illegible] और [illegible] का [illegible]

[illegible] । [illegible] मृत्यु [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] । [illegible]

[illegible]

का प्रयोग किया और [illegible] में उसने मुख्तारनामा अधिनियम की धारा 3 का सहारा लिया और यह [illegible] कि मुख्तारनामा के दाता की मृत्यु की जानकारी न होने पर जो विनिमय किये गये हैं वे इस धारा के आधार पर विधिमान्य हैं।

किन्तु उच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 3 का उद्देश्य मुख्तारनामे के धारक को उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए केवल तब तब संरक्षण प्रदान करना है जब कि उस व्यक्ति की, जिसने मुख्तारनामा दिया है, मृत्यु के कारण मुख्तारनामे के समाप्त हो जाने के तथ्य की जानकारी उसे उस समय न रही हो। यह अभिकर्ता को संरक्षण प्रदान कर सकता है किन्तु इस मामले में न्यायालय के सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं था।

रनामों का ...चन।

3.8 धारा 2 और 3, जिनका उल्लेख अभी तक किया गया है, महत्वपूर्ण उपबंध हैं। मुख्तारनामों के अर्थान्वयन से संबंधित साधारण सिद्धान्त सुनिश्चित हैं। मुख्तारनामे का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि वह केवल ऐसा प्राधिकार देता है जो वह स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा प्रदान करता है। विशेष रूप से, (1) लिखत का प्रभावशील भाग मुख्तारनामों के पाठ से निर्वचित होता है; (2) जहां विशिष्ट कार्यों को करने का प्राधिकार दिया गया है और उसके पश्चात् साधारण शब्द आते हैं वहां साधारण शब्द उस बात तक सीमित होते हैं जो उन विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं; (3) साधारण शब्द साधारण शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं बल्कि वे उस प्रयोजन तक सीमित होते हैं जिसके लिए प्राधिकार दिया गया है और उनका यह अर्थ कि वे विशेष शक्तियों का विस्तार करते हैं केवल तब लगाया जाता है जब उस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक हो;

[illegible] हैं [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] कुव्यवस्था [illegible] [illegible] कुव्यवस्थाएं [illegible] प्रकाश [illegible] [illegible] सम्पूर्ण [illegible] [illegible] विकास करता है।[1]

[illegible] कुव्यवस्थाओं [illegible] [illegible] कौटुम्बिक [illegible] विशेष [illegible] और इन [illegible] निश्चित [illegible] का निस्तार करते हैं। 2-3

---

1. बैंक आफ बंगाल बनाम रामनाथन चेट्टी, 43 आई. ए. 48, 55
2. जी० [illegible] पैट्रिआर्क ए. आइ. आर. बनाम [illegible], [illegible] 1933, प्रिवी काउंसिल, 78
3. [illegible] बनाम प्रफुल्ल [illegible] (1966) [illegible] 90, 93 ([illegible]

अध्याय 4

मुख्तारनामे का जमा किया जाना

मुख्तारनामे का जमा किया जाना 4.1. धारा 4 में मुख्तारनामों के उच्च न्यायालयों में जमा किए जाने का और इस प्रकार जमा किए गए मुख्तारनामों की उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाणित प्रतियों के जारी किए जाने का उपबंध है । इंगलैण्ड में तत्स्थानी उपबंध आर०एस०सी० आदेश 61ए के साथ पठित सुप्रीम कोर्ट आफ जुडीकेचर कन्सालिडेशन ऐक्ट, 1925 की धारा 219 में विद्यमान थे । किन्तु ये उपबंध अब निरसित हो गए हैं । इंगलैण्ड में सबूत की एविडेन्स एण्ड पावर्स आफ अटर्नी ऐक्ट, 1940 लागू होता है ।

यह प्रक्रिया न्यायपालिका के कृत्यों के बारे में आधुनिक धारणा के अनुकूल प्रतीत नहीं होती । मुख्तारनामों का रजिस्ट्रीकरण भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18(च) के अधीन किया जा सकता है जिसमें ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दी गई है जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 17 द्वारा अपेक्षित नहीं है । उस अधिनियम की धारा 57(5) ऐसी दस्तावेजों की "रजिस्ट्रीकरण प्रतियों" को, मूल प्रति की विषयवस्तु के सबूत के लिए साक्ष्य में दिए जाने के लिए समर्थ बनाती है । ऐसी परिस्थिति में मुख्तारनाम अधिनियम, 1882 की धारा 4 से कोई विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । यह भी उल्लेखनीय है कि अब मुख्तारनामे के नोटरी द्वारा अधिप्रमाणन की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।[1] अतः धारा 4 निकाल दी जानी चाहिए और हमारी सिफारिश भी यही है ।

4.2. यह उल्लेखनीय है कि धारा 4 कान्वेयन्सिंग ऐक्ट, 1881 की धारा 48 पर आधारित है । इंगलैण्ड के ऐक्ट की वह धारा, सुप्रीम कोर्ट आफ जुडीकेचर (कन्सालिडेशन) ऐक्ट, 1925[2] की धारा 219 द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई थी । उक्त धारा 219 इस प्रकार है :

> "219. मुख्तारनामा सर्जित करने वाली मूल लिखतों का जमा किया जाना :
>
> (1) मुख्तारनामा सर्जित करने वाली लिखत, उसका निष्पादन शपथपत्र द्वारा, कानूनी घोषणा द्वारा या अन्य पर्याप्त साक्ष्य द्वारा सत्यापित करके, ऐसे शपथपत्र या घोषणा सहित यदि कोई हो, केन्द्रीय कार्यालय में जमा की जा सकती है ।

1- आगामी अध्याय 6 में की गई चर्चा देखिए ।

अध्याय 5

विविध विवाहित स्त्री

5. 5.1. विवाहित स्त्री को मुख्तारनामा निष्पादित करने की शक्ति के संबंध में धारा 5, 1881 के मूल विधेयक में परिकल्पित नहीं थी। इसे समिति ने विधेयक पुनः पुरःस्थापित करते हुए निम्नलिखित बात कही थी और उसी के अनुसार यह बाद में जोड़ी गई थी :

"(उस कानून की धारा 40 के अनुसार)[1] यह घोषित करना उपयोगी होगा कि विवाहित स्त्रियों को, चाहे वे वयस्क हों या नहीं, कोई लिखत निष्पादित करने के लिए या कोई अन्य ऐसा कार्य करने के लिए जिसे वे स्वयं निष्पादित कर सकती हैं या कर सकती हैं, अपनी ओर से अटर्नी नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए। इस विषय पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जाएगा - - - - - - -"[2]

5.2. जैसा कि बताया जा चुका है[3], धारा 5 की शब्द रचना बिल्कुल साधारण है और व्यापकता को सीमित करने वाली कोई बात उसमें नहीं है। यह धारा, जहां तक यह विवाहित स्त्रियों को मुख्तारनामे का सर्जन करने की स्पष्ट अनुज्ञा देती है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 पर अभिभावी है। संविदा अधिनियम की उस धारा के अधीन ऐसा व्यक्ति जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, आदि, अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

5.3. यह उल्लेखनीय है कि यदि उक्त उपबंध न होता तो अवयस्क व्यक्ति मुख्तारनामा निष्पादित नहीं कर सकता।[4]

- -

1. कन्वेयंसिंग ऐक्ट, 1881 (44 और 45 विक्टो०, अध्याय 41), धारा 40 बाद में एल०पी०ऐक्ट, 1925 की धारा 129, 1971 में निरसित।
2. देखिए भारत का राजपत्र, 17 दिसम्बर, 1881, अनुपूरक, पृष्ठ 1413।
3. चिन्नम्मा बनाम वेंकय्या, ए०आई०आर० 1933, मद्रास 407, 409 (न्यायपीठ) (इसमें हिन्दू अवयस्क विवाहित स्त्री द्वारा अपने पति के पक्ष में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, की धारा 73 के अधीन आवेदन करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाले मुख्तारनामे की विधिमान्यता को कायम रखा गया था)।
4. बोस्टेड आन एजेन्सी, दसवां संस्करण, पृष्ठ 14, अनुच्छेद 6, पाद टिप्पणी

की आवश्यकता
ा।

5.4. जहाँ तक शिशुओं और पागलों के संबंध में, सामान्य संविदाओं के बारे में, उपबंध का विधान का आधार है कि बालक व्यक्ति के कार्यों पर प्रभाव डालने वाली विधि विनियमित नहीं कर सकता है। जहाँ तक ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जो विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874 (1874 का 3) धारा सम्मिलित करती है, तब तक उपबंध उस अधिनियम के आधारभूत सिद्धान्त की अवस्थाओं पर भी लागू होता है।

हमारी सिफारिश है कि धारा का यह भाग अर्थात् "चाहे वह अवयस्क हो या नहीं" हटा निकाल दिए जाने चाहिए क्योंकि उसमें यह उपधारणा की गई है कि अवयस्क व्यक्ति विवाह कर सकता है। संशोधित बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस संशोधन के बाद अवयस्क लड़की का विवाह प्रतिषिद्ध है। मुख्तारनामा अधिनियम में वर्तमान उपबंध को बनाए रखने से विवाह की न्यूनतम आयु संबंधी विधिक स्थिति के बारे में गलत धारणा पैदा हो जाएगी।

5.5. इंग्लैण्ड में, तत्स्थानी उपबंध ला आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1925 की धारा 129 को "अनावश्यक" मानकर 1971 में निरसित कर दिया गया था।[1] किन्तु भारत में जब तक विवाहित स्त्रियों के बारे में कोई व्यापक कानून (नहीं अधिनियमित) किया जाता है तब तक यह धारा उपयोगी सिद्ध हो सकती है और इसमें उक्त उपांतर करके इसे कायम रखा जा सकता है।

---

1. पावर्स आफ अटर्नी ऐक्ट, 1971, धारा 8

अध्याय 6

प्रकीर्ण

न और त मुख्तारनामों उपधारणा ।

6.1. अब हम मुख्तारनामों के अधिप्रमाणन की चर्चा करेंगे । नोटरी अधिनियम[1] की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार, सम्पूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए और राज्य सरकार, सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए, विधि व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताएं हों जो विहित की जाएं, नोटरी नियुक्त कर सकती है । उस अधिनियम की धारा 8(1)(क) के अधीन नोटरी का एक कार्य किसी "लिखत" के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित या अनुप्रमाणित करना है । धारा 7 के अधीन नोटरी के लिए यह आवश्यक है कि उसकी एक मुद्रा हो और ~~कह उसके एक मुद्रा को और उसका~~ वह उसका उपयोग करे ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 85 के अधीन, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौन्सल या उप कौन्सल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी । उस अधिनियम की धारा 57(6) और (7) के अधीन, नोटरी पब्लिक की मुद्राओं की न्यायिक अवेक्षा की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों का उल्लेख आगे किया जाएगा ।[2]

ण अधिनियम ।

6.2. कुछ अन्य अधिनियमों के मुख्तारनामा संबंधी उपबंधों का संक्षेप में उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा । भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में मुख्तारनामों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के लिए उपबंध हैं । उस अधिनियम की धारा 32(ग) के अधीन अभिकर्ता को रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मुख्तारनामा दिया जा सकता है, किन्तु धारा 33(1) के अधीन केवल कुछ प्रकार के मुख्तारनामों को मान्यता प्रदान

1- नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) ।

की गई है । संक्षेप में, धारा 85 में यह अधिकथित है कि मुख्तारनामा (यदि पार्थिव भारत के किसी ऐसे भाग में निष्पादित कराया है जिसमें यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त है, तो) रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के या (यदि पार्थिव भारत के किसी अन्य भाग में निष्पादित कराया है तो) मजिस्ट्रेट या (यदि पार्थिव भारत में निष्पादित नहीं कराया है तो) नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उप-कौंसल या केन्द्रीय सरकार के ~~द्वारा~~ प्रतिनिधि द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा :

धारा 85(4) के अधीन, इस धारा में वर्णित किसी भी मुख्तारनामे को उस सूरत में अतिरिक्त सबूत के बिना उसके पेश किए जाने पर ही ग्राह्य किया जा सकेगा जिसमें ऊपर से देखने से ही यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे व्यक्ति या न्यायालय के, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, निष्पादित किया गया है । ये उपबंध विशेष स्वरूप के हैं और मुख्तारनामा अधिनियम में जिन परिवर्तनों की सिफारिश की गई है उनका इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिनियम । 6.3. इसके अतिरिक्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 48 में, उस अधिनियम की धारा 2(21) में दी हुई परिभाषा के अनुसार मुख्तारनामें को स्टाम्पित करने का उपबंध है । मुख्तारनामा अधिनियम के प्रस्तावित पुनरीक्षण का उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नोटेरी अधिनियम, 1952 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों का पृथक रूप से उल्लेख किया गया है ।[1]

रजिस्ट्रीकरण 16.4. कुछ मामलों में, किसी मुख्तारनामें का रजिस्ट्रीकरण भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अधीन अनिवार्य हो सकता है । उदाहरण के लिए वह मुख्तारनामा जो, आदाता को दाता की स्थावर सम्पत्ति के भाटक, आदाता के अपने फायदे के लिए वसूल करने का प्राधिकार प्रदान करता है, एक समनुदेशन है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है । इसी प्रकार, ऐसे मुख्तारनामे का भी जो उसमें उल्लिखित स्थावर सम्पत्ति पर, मुख्तारनामें के आदाता के पक्ष में कोई भार सर्जित करता है, रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है।[2]

1- देखिए पूर्वगामी पैरा 6.1.

2-(क) गणपत बनाम अदारजी (1879) आई०एल०आर० 3 मुम्बई, 312, 325
(ख) इन्द्रा बीबी बनाम जैन ~~मिस्त्री~~ सरदार (1908), आई.एल.आर. 35, कलकत्ता 845, 848

अन्य मामलों में, [illegible] पुनर्वादकर्ताओं के लिए, जहाँ वह [illegible] सम्पत्ति के विक्रय में हो, रजिस्ट्रीकृत [illegible] [illegible] है[1] [illegible] यह ऐसी किसी दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता है जिसकी [illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है ।

~~(अ) [illegible] बनाम [illegible] (1908), आई०एल०आर० 35, कलकत्ता 845, 848.~~

1. कोलुवारीड बनाम मरिअप्पा, ए०आई०आर० 1954 टी०सी० 10, 17, वाले मामले में हुए विचार विमर्श से तुलना करें ।

अन्य मामलों में, [illegible] [illegible] [illegible] के लिए, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible], प्रतिकूल [illegible] [illegible] [illegible] है[1] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के अंतर्गत नहीं [illegible] है [illegible] [illegible] प्रतिकूल [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] है कि उसका प्रतिकूल [illegible] [illegible] है ।

~~(ख) [illegible] बनाम [illegible] सरकार (1903), आई०एल० आर० 35, कलकत्ता 345, 348,~~

1. कोलुवारीद बनाम मरियप्पा, ए०आई०आर० 1954 टी०सी० 10, 17, वाले मामले में हुए विचार विमर्श से तुलना करें ।

संहरणीय
ारनामे -
ण्ड के 1925
अधिनियम
उपबंध।

6.5. इस स्थान पर इंग्लैण्ड के कानूनों के कुछ उपबंधों का उल्लेख प्रासंगिक होगा। ला आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1925 की धाराओं 126 और 127 में ऐसे मुख्तारनामे के, जो मूल्यार्थ दिया गया है और जिसकी बाबत यह अभिव्यक्त है कि वह अप्रतिसंहरणीय है, अथवा ऐसे मूल्यार्थ या अन्यथा मुख्तारनामे के जो किसी नियत अवधि के लिए अप्रतिसंहरणीय किया गया है, प्रभाव के संबंध में कुछ उपबंध किए गए थे। उक्त दो धाराएं और धारा 205(1)(xix) में की गई "क्रेता" की परिभाषा नीचे उद्धृत की जा रही हैं :

"126. अप्रतिसंहरणीय मूल्यार्थ मुख्तारनामे का प्रभाव :

(1) यदि मूल्यवान प्रतिफल के लिए दिया गया कोई मुख्तारनामा उस लिखत में है जो मुख्तारनामे को अप्रतिसंहरणीय बताते हुए सर्जित करती है तो किसी क्रेता के पक्ष में —

(i) वह मुख्तारनामा मुख्तारनामे के आदाता की सम्मति के बिना मुख्तारनामे के दाता द्वारा की गई किसी बात से या मुख्तारनामे के दाता की मृत्यु, निर्योग्यता या शोधाक्षमता से किसी भी समय प्रतिसंहृत नहीं होगा ; और

(ii) मुख्तारनामे के अनुसरण में मुख्तारनामे के आदाता द्वारा किसी भी समय किया गया कोई कार्य उतना ही विधिमान्य होगा मानों मुख्तारनामे के आदाता की सम्मति के बिना मुख्तारनामे के दाता द्वारा की गई कोई बात नहीं की गई थी अथवा मुख्तारनामे के दाता की मृत्यु, निर्योग्यता या शोधाक्षमता नहीं हुई थी ; और

(iii) न तो मुख्तारनामे के आदाता और न क्रेता पर, मुख्तारनामे के आदाता की सम्मति के बिना मुख्तारनामे के दाता द्वारा की गई किसी बात की अथवा मुख्तारनामे के दाता की मृत्यु, निर्योग्यता या शोधाक्षमता की सूचना का किसी भी समय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) यह धारा अट्ठारह सौ नवासी की इकतीसवीं दिसम्बर के पश्चात् निष्पादित लिखत द्वारा सर्जित मुख्तारनामों को लागू होती है।"

- -

127. नियत समय के लिए अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे का प्रभाव

(1) यदि कोई मुख्तारनामा, चाहे वह मूल्यवान् प्रतिफल के लिए दिया गया हो या नहीं, उस लिखत में है जिसके अभिव्यक्त द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट नियत अवधि के लिए, जो लिखत की तारीख से एक वर्ष से अधिक की नहीं है, अप्रतिसंहरणीय बनाया गया मुख्तारनामा सर्जित किया गया है, तो क्रेता के पक्ष में --

(i) वह मुख्तारनामा उस नियत अवधि के लिए और उसके दौरान, मुख्तारनामे के दाता द्वारा मुख्तारनामे के आदाता की सहमति के बिना की गई किसी बात से अथवा मुख्तारनामे की मृत्यु, निर्योग्यता या शोधाक्षमता से प्रतिसंहृत नहीं होगा ; और

(ii) उस नियत अवधि के भीतर मुख्तारनामे के आदाता द्वारा मुख्तारनामे के अनुसरण में किया गया कोई कार्य ऐसे विधिमान्य होगा मानों मुख्तारनामे के दाता द्वारा मुख्तारनामे के आदाता की सहमति के बिना कोई बात नहीं की गई थी अथवा मुख्तारनामे के दाता की मृत्यु, निर्योग्यता या शोधाक्षमता घटित नहीं हुई थी ; और

(iii) न तो मुख्तारनामे के आदाता और न क्रेता पर, उस नियत अवधि के दौरान या उसके भीतर मुख्तारनामे के दाता द्वारा उस नियत अवधि के दौरान मुख्तारनामे के आदाता की सहमति के बिना की गई किसी बात की अथवा उस नियत अवधि के भीतर, मुख्तारनामे के दाता की मृत्यु, निर्योग्यता या शोधाक्षमता की सूचना से, किसी भी समय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(3) यह धारा अठारह सौ बयासी की इकतीसवीं दिसम्बर के पश्चात् निष्पादित लिखतों द्वारा सर्जित मुख्तारनामों को लागू होती है ।

" 205. (1)(xxiii) " क्रेता " से मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक क्रेता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पट्टेदार, बंधकदार या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सम्पत्ति में कोई हित, मूल्यवान प्रतिफल के लिए अर्जित करता है । किन्तु इस अधिनियम के भाग 1 में या अन्यत्र जहां यह शब्द अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हो, " क्रेता " से केवल ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सम्पत्ति में हित या उस पर भार धन के लिए या धन में मापे जाने वाले मूल्य के लिए अर्जित करता है ; और किसी विधिक सम्पदा के प्रति निर्देश से, इसके अन्तर्गत विधिक अन्तरण के रूप में भारग्रहीता भी है और जहां संदर्भ से अपेक्षित हो, " क्रेता " के अंतर्गत " क्रेता " का तत्स्थानी भी है और " मूल्यवान प्रतिफल " के अन्तर्गत विवाह भी है किन्तु इसके अन्तर्गत धन के रूप में नाममात्र का प्रतिफल नहीं है । "

...ता का न... ।

6.6. हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या भारत में भी इसी प्रकार के उपबन्धों की आवश्यकता है । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय अधिनियम में इन व्यापक उपबंधों को जोड़ना आवश्यक नहीं है । ऐसे उपबंधों की बहुत आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है । हमारे विचार से हमारे देश की परिस्थितियों में इन उपबंधों को अपनाना आवश्यक नहीं है ।

...दिए गए ...मे का – इंगलैण्ड का उपबंध ।

6.7. लॉ आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1925[1] की धारा 128 में, सम्पत्ति के क्रेता को दिए गए मुख्तारनामे के न्यागमन का उपबंध है । वह उपबंध इस प्रकार है :-

" 128. क्रेता को दिए गए मुख्तारनामे का न्यागमन :

(1) मूल्यार्थ दिया गया मुख्तारनामा किसी सम्पत्ति या उसमें किसी हित के क्रेता को और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन उसका हक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है और सदैव दिए जाने योग्य समझा जाएगा तथा वे व्यक्ति, मुख्तारनामे के सभी प्रयोजनों के लिए सम्यक् रूप से नियत अटर्नी होंगे किन्तु इसका मुख्तारनामे द्वारा दिए गए एवजियों को नियुक्त करने के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) यह धारा अट्ठारह सौ बयासी की इकतीसवीं दिसम्बर के पश्चात् निष्पादित लिखतों द्वारा सृजित मुख्तारनामों को लागू होती है ।

(3) यह धारा मुख्तारनामे के आदाता से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन हक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी की ओर से, रजिस्ट्रीकृत भूमि से संबंधित कोई ऐसी लिखत निष्पादित जिसे रजिस्टर पर प्रभावी किया जाना है, करने के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं करती है, जब तक कि मुख्तारनामा किसी रजिस्टर में किसी चेतावनी या अन्य प्रविष्टि द्वारा परिरक्षित न हो । "

यह उपबंध करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है

6.8. वर्तमान अधिनियम को निरसित करते समय, धारा 4 के अधीन उच्च न्यायालय में वर्तमान अधिनियम के अधीन जमा किए गए मुख्तारनामों के लिए उपबंध करना होगा । ये जमा करने वाले को या उसके हित उत्तराधिकारी को लौटा दिए जाने चाहिए अथवा जहां इस प्रकार लौटाना संभव न हो वहां उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए ।

6.9. अपनी सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए हमने परिशिष्ट 1 में उनका उल्लेख एक प्रारूप विधेयक के रूप में किया है ।

परिशिष्ट 2 में एक तुलनात्मक सारणी दी गई है जिसमें वर्तमान अधिनियम के उपबंध और परिशिष्ट के तत्स्थानी उपबंध, यदि कोई हैं, दर्शित हैं ।

परिशिष्ट 1

प्रारूप विधेयक के रूप में यथाप्रस्तावित सिफारिशें

(कृपया ध्यान दें – यह बिल अनिवार्य प्रारूप है)

परिशिष्ट 1 की विषय सूची

खण्ड	विषय वस्तु
1	संक्षिप्त नाम और विस्तार ।
2	परिभाषा ।
3	मुख्तारनामे के अधीन निष्पादन ।
4	मृत्यु आदि की सूचना के बिना व्यक्तियों द्वारा मुख्तारनामे के अधीन संदाय ।
5	विवाहित स्त्रियों के मुख्तारनामे ।
6.	निरसन ।

मुख्तारनामा विधेयक, 197--

मुख्तारनामे से संबंधित विधि को
संशोधित करने के लिए
विधेयक

संसद् द्वारा भारत गणराज्य के - - - - - वें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :-

नाम और ... (धारा 1)

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुख्तारनामा अधिनियम, 197-- है

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है

(3) यह - - - - - - - को प्रवृत्त होगा ।

... (धारा 2)

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "मुख्तारनामा" के अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है जो किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उसका निष्पादन करने वाले व्यक्ति के लिए और उसके नाम में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है ।

... के अधीन ... (वर्तमान

3. किसी मुख्तारनामे का आदाता, यदि ठीक समझता है तो, मुख्तारनामे के दाता के प्राधिकार से कोई - - - - -लिखत या बात अपने नाम और हस्ताक्षर से और अपनी मुद्रा से, जहां मुद्रा लगाना अपेक्षित है, कर सकता है या निष्पादित कर सकता है; और इस प्रकार निष्पादित और कृत प्रत्येक- - - - - -लिखत और बात विधि में इस प्रकार प्रभावशील होगी मानों वह मुख्तारनामे के आदाता द्वारा उसके दाता के नाम में और हस्ताक्षर और मुद्रा से कृत या निष्पादित है ।

... की सूचना ... मुख्तारनामे ... द्वारा ... संदायों का ... ना (... धारा 3)

4. (1) मुख्तारनामे के अनुसरण में सद्भावपूर्वक संदाय या कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस संदाय या कार्य की बाबत इस कारण दायी नहीं होगा कि उस संदाय या कार्य के पहले, मुख्तारनामे का दाता मर गया था या---- विकृत चित्त हो गया है या दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है या उसने मुख्तारनामा प्रतिसंहृत कर दिया है, यदि मृत्यु - - - - - -चित्तविकृति,--- दिवालियापन या प्रतिसंहरण का तथ्य संदाय या कार्य के समय उसे करने वाले व्यक्ति को ज्ञात नहीं था ।

(2) इस धारा की कोई भी बात इस प्रकार संदत्त किसी धन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के ऐसे धन पाने वाले के विरुद्ध किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी और उस व्यक्ति को ऐसे पाने वाले के विरुद्ध वैसे ही उपचार प्राप्त होगा जैसे कि उसे संदाय करने वाले के विरुद्ध प्राप्त होता, यदि उसके द्वारा संदाय किया जाता ।

(वर्तमान धारा 4 लुप्त कर दी गई)[1]

हित स्त्री का
नामा ।
न धारा 5
रित
में)

5. किसी वयस्क विवाहित स्त्री को इस अधिनियम के [illegible], किसी निर्वसीयती लिखत द्वारा अपनी ओर से कोई निर्वसीयती लिखत निष्पादित करने या कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजन के लिए जो वह स्वतः निष्पादित कर सकती हो या कर सकती हो, अपनी ओर से उसी प्रकार एक अटर्नी नियुक्त करने की शक्ति होगी मानो वह अविवाहित - - - - - - - -है और मुख्तारनामों को अभिप्रेत करने वाली लिखतों के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्ध उसे लागू होंगे ।

7

6. (1) मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन, किसी उच्च न्यायालय में जमा की गई लिखतें, उस उच्च न्यायालय में जिसमें वे जमा की जाती हैं, ऐसे नियमों के अनुसार जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए जाएं, उस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने पर उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उन्हें जमा किया था, या उनके हित-उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएंगी अथवा जहां ऐसे वापस करना संभव नहीं है वहां उनकी बाबत ऐसे नियमों के अनुसार अन्यथा कार्यवाही की जाएगी ।

1- रिपोर्ट का पैरा 4.1 देखिए ।

परिशिष्ट 2

तुलनात्मक सारणी जिसमें वर्तमान अधिनियम के उपबंध और परिशिष्ट 1 में उनके तत्स्थानी उपबंध, यदि कोई हों, दर्शित हैं

वर्तमान धारा	परिशिष्ट 1 में खण्ड
1	1
2	3
3	4
4	लुप्त
5	5

हम उस मूल्यवान सहायता के लिए अपनी हार्दिक सराहना का उल्लेख करना चाहेंगे जो हमें इस रिपोर्ट को तैयार करने के के कार्य में आयोग के सदस्य सचिव श्री बख्शी से प्राप्त हुई है ।

पी०बी० गजेन्द्रगडकर ---- अध्यक्ष

पी०के० त्रिपाठी --- सदस्य

एस०एन०शंकर --- सदस्य

एस०पी० सेनवर्मा ---- सदस्य

बी०सी०मित्रा ---- सदस्य

पी०एम० बख्शी --- सदस्य सचिव

नई दिल्ली,

तारीख ----मार्च, 1977